दिनांक 02 दिसम्बर, 2016 को माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में मध्याहन 12.00 बजे विश्वविद्यालय सभागार में सम्पन्न कार्य परिषद की 16 वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्न ने प्रतिभाग किया:-

1.	प्रोफेसर नागेश्वर राव, कुलपति, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।	अध्यक्ष
2.	प्रोफेसर बी0एस0 पठानिया, रिटायर्ड डीन ऑफ लैंग्वेजज, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, समर हिल शिमला	सदस्य
3.	प्रोफेसर एच0पी0 शुक्ल निदेशक, मानविकी विद्याशाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।	सदस्य
4.	प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे, निदेशक, समाज विज्ञान विद्या शाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।	सदस्य
5.	डॉ0 देवेश कुमार मिश्र, सहायक प्राध्यापक, संस्कृत, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।	सदस्य
6.	प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र, निदेशक, प्रबंध अध्ययन एवं वाणिज्य विद्या शाखा/कुलसचिव उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।	सदस्य सचिव
7.	श्रीमती आभा गर्खाल, वित्त अधिकारी, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।	आमंत्रित सदस्य

सर्वप्रथम कुलसचिव (सदस्य सचिव, कार्यपरिषद) द्वारा कुलपति (अध्यक्ष, कार्यपरिषद) तथा सभी उपस्थित सदस्यों का कार्यपरिषद की 16वीं बैठक में स्वागत किया गया। कुलसचिव ने विशेषरूप से परिषद की बैठक में उपस्थित एकमात्र बाह्य सदस्य सेवानिवृत्त प्रोफेसर बी0एस0 पठानिया का स्वागत किया।

इसके पश्चात् कुलसचिव ने कुलपति जी से अनुरोध किया कि वे पिछली कार्यपरिषद की बैठक से वर्तमान कार्यपरिषद की बैठक तक विश्वविद्यालय में हुई गतिविधियों एवं विश्वविद्यालय को प्राप्त उपलब्धियों से परिषद के सम्मानित सदस्यों को अवगत कराने की कृपा करें।

कुलपति जी ने कार्यपरिषद की बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का पुन: हार्दिक स्वागत किया तथा परिषद को बताया कि गत कार्यपरिषद के बाद से विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली बहुत सुचारू रूप से चलती रही है। विश्वविद्यालय की समस्त परीक्षाओं के परिणाम निर्धारित समय पर घोषित किये गये हैं तथा विश्वविद्यालय में प्रथम दीक्षान्त समारोह का सफल आयोजन किया गया है। इसी प्रकार प्रवेश की प्रक्रिया निर्धारित समयावधि में पूर्ण की गई है और बडी संख्या में विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया है। उन्होंने यह भी बताया कि अन्य मुक्त विश्वविद्यालयों की भांति इस विश्वविद्यालय में भी वर्तमान सत्र से वर्ष में दो बार प्रवेश दिये जायेंगे तथा नई प्रवेश प्रक्रिया जनवरी 2017 से प्रारम्भ होगी। कुलपति जी ने यह भी बताया कि पिछली कार्यपरिषद में लिए गए निर्णय के अनुरूप विश्वविद्यालय में शोध कार्य प्रारम्भ किये जाने हेतु नये नियमों के आधार पर प्रक्रिया गतिमान है तथा शीघ्र ही शोध निदेशालय के द्वारा प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जायेगा।

उन्होंने कार्यपरिषद को बताया कि इस बीच विश्वविद्यालय द्वारा किये गये प्रयासों के परिणामस्वरूप सहायक प्राध्यापक के 12 पद तथा शिक्षणेत्तर संवर्ग में 17 पद शासन के द्वारा स्वीकृत किये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त उन्होंने यह भी बताया कि विश्वविद्यालय की स्थापना के समय से नियोजित चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों तथा वाहन चालकों के पदों के लिए भी प्रयास किया गया किन्तु शासन के द्वारा केवल वाहन चालकों के वर्ग में 03 पद ही स्वीकृत किये गये तथा 06 अतिरिक्त कनिष्ठ लिपिक के पद भी शासन द्वारा स्वीकृत किये गये। उन्होंने इस हेतु प्रदेश शासन के प्रति आभार व्यक्त किया तथा प्रदेश की माननीय शिक्षामंत्री के प्रति विशेषरूप से धन्यवाद ज्ञापित किया। इसी अवधि में पूर्व से स्वीकृत सहायक क्षेत्रीय निदेशक के 8 पदों की अर्हता के निर्धारण के लिए शासन को भेजे गये अनुरोध की शासन से स्वीकृति प्राप्त होने की सूचना परिषद को दी गई। इसके अतिरिक्त कनिष्ठ सहायक एवं वाहन चालकों के पदों पर विनियमितीकरण की प्रक्रिया सम्पन्न किये जाने से भी परिषद को अवगत कराया।

प्रोफेसर राव ने परिषद को अवगत कराया कि दिनांक 25-11-2016 को विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस मनाया गया तथा इस अवसर पर इस विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होने परिषद को अवगत कराया कि प्रदेश शासन एवं विशेषकर उच्च शिक्षामंत्री के प्रयासों से हल्द्वानी में सम्पूर्ण प्रदेश की आई0टी0 अकादमी के उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में स्थापित किये जाने विषयक आदेश प्राप्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय के लिए एक बहुत बडी उपलब्धि है तथा विश्वविद्यालय शासन के इस निर्णय के लिये शासन के प्रति आभार व्यक्त करता है।

परिषद ने कुलपति जी के द्वारा प्रस्तुत किये गये विवरण पर प्रसन्नता व्यक्त की तथा परिषद के सम्मानित बाह्य सदस्य प्रोफेसर पठानिया ने विश्वविद्यालय के इन कार्यों की सराहना का प्रस्ताव रखा। उनके इस प्रस्ताव का कार्यपरिषद के सभी सदस्यों ने अनुमोदन करते हुए स्वागत किया।

इसके पश्चात कुलसचिव के द्वारा निर्धारित क्रम से प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया एवं इन प्रस्तावों पर हुई चर्चा एवं लिये गये निर्णय निम्नवत् हैं -

प्रस्ताव संख्या 16.01- कार्य परिषद की 14वीं बैठक दिनांक 09.09.2016 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

कार्य परिषद की 14वीं बैठक दिनांक 09 सितम्बर, 2016 के कार्यवृत्त को सभी सदस्यगणों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया गया था कि यदि कोई संशोधन हो तो कृपया अवगत कराने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में परिषद के किसी भी सदस्य द्वारा कोई संशोधन न दिए जाने के बारे में सदस्य सचिव द्वारा परिषद को अवगत कराया गया, जिस पर परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 16.02- कार्य परिषद की 15वीं बैठक दिनांक 06.11.2016 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

कार्य परिषद की **15वीं** बैठक **दिनांक** 06.11.2016 **का** कार्यवृत्त परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 16.03- कार्य परिषद की 14वीं बैठक दिनांक 09.09.2016 एवं 15वीं बैठक दिनांक 06.11.2016 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही।

कार्यपरिषद की 14वीं एवं 15वीं बैठक के प्रस्तावों पर हुई कार्यवाही के संबंध में कुलपति जी द्वारा परिषद को निम्नानुसार अवगत कराया गया-

प्रोफेसर आर०सी० मिश्र, प्रोफेसर एच०पी० शुक्ल तथा प्रोफेसर दुर्गेश पंत का कुमाऊँ विश्वविद्यालय से वी०आर०एस० स्वीकृत हो गया है तथा इनका इस विश्वविद्यालय में नियमित रूप से चयन हो चुका है।

वित्त समिति, भवन निर्माण समिति तथा परीक्षा समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के अनुरूप कार्यवाही की जा रही है।

प्रोफेसर पी०डी० पंत, परीक्षा नियंत्रक की प्रतिनियुक्ति अवधि दिनांक 01 मई, 2016 से दिनांक 30 अप्रैल, 2018 तक विस्तारित किया जा चुका है।

विश्वविद्यालय योजना बोर्ड, मान्यता बोर्ड एवं वित्त समिति के गठन हेतु नाम निर्दिष्ट किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

दैनिक वेतनभोगी कार्मिकों की उपलब्धता हेतु बाह्य सेवा प्रदाता संस्थाओं से किये गये अनुबंध के अनुरूप कार्यवाही की गयी।

डॉ० कमल देवलाल, सहायक प्राध्यापक, भौतिकी की शोध उपाधि के संबंध में पंतनगर विश्वविद्यालय से स्थिति स्पष्ट किये जाने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है।

अकादमिक, प्रशासनिक तथा तकनीकी परामर्शदाताओं की नियोजन अवधि दिनांक 30 अप्रैल,2016 को पूर्ण होने के उपरान्त दो-दो माह (05 मई,2016 से 30 जून,2016 तक तथा 01 जुलाई,2016 से 30 अगस्त,2016 तक) के अन्तराल पर सेवा विस्तार दिया गया, जिसे पुन: एक माह (30 सितम्बर,2016 तक) के लिए विस्तारित कर माह अक्टूबर,2016 में नवीन चयन प्रक्रिया की गयी है।

पदों के स्थायीकरण के संबंध में शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है, जिसमें प्राध्यापक के 05 तथा सहायक प्राध्यापक के 16 (कुल 21) पद सम्मिलित हैं।

विश्वविद्यालय स्थापना के समय नियुक्त कार्मिकों के विनियमितीकरण हेतु गठित विनियमितीकरण समिति की दिनांक 26 नवम्बर, 2016 को बैठक आहूत की गयी, जिसमें समिति द्वारा 08 लिपिक तथा 03 वाहन चालकों का विनियमितीकरण किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्यवाही की गयी है।

विश्वविद्यालय के शिक्षकों को कैरियर अभिवर्धन का लाभ अनुमन्य किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

कार्यपरिषद में लिए गए निर्णय के अनुरूप विश्वविद्यालय में शोध कार्य प्रारम्भ किये जाने हेतु नये नियमों के आधार पर प्रक्रिया गतिमान है तथा शीघ्र ही शोध निदेशालय के द्वारा प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जायेगा।

दिनांक 07 नवम्बर, 2016 को विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षान्त समारोह का सफल आयोजन किया जा चुका है तथा द्वितीय दीक्षान्त समारोह कराये जाने की प्रक्रिया आरम्भ करने की सहमति दी गई।

सहायक क्षेत्रीय निदेशक पद की कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदित अर्हता पर शासन से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा अग्रेत्तर कार्यवाही की जा रही है।

प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे द्वारा अपने पैतृक विभाग कुमायूं विश्वविद्यालय में त्याग पत्र दिये जाने के फलस्वरूप इस विश्वविद्यालय में नियमित रूप से चयन होने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से इनकी सेवाएं मान्य हो चुकी हैं तथा कुमाऊँ विश्वविद्यालय से इनकी सेवा पुस्तिका इत्यादि के अंतरण की कार्यवाही की जा रही है।

वित्त सेवा संवर्ग के पदों के पुनर्गठन के फलस्वरूप वित्त अधिकारी का पदनाम मुख्य वित्त अधिकारी निर्धारित किया गया है, जिसका नोटिफिकेशन जारी किये जाने पर कार्यवाही की जा रही है।

उक्तानुसार, परिषद द्वारा कृत कार्यवाही का अवलोकन कर कार्यवाही **पर** संतोष व्यक्त किया गया।

प्रस्ताव संख्या 16.04- दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 या उसके बाद विश्वविद्यालय सेवा में नियुक्त ऐसे कार्मिक जो पुरानी पेन्शन योजना से आच्छादित थे, को पुरानी पेन्शन योजना का लाभ अनुमन्य किये जाने के संबंध में।

उक्त प्रस्ताव के क्रम में परिषद द्वारा शासन के अनुमति पत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2016 का अवलोकन किया गया। तदोपरान्त परिषद द्वारा सर्वसम्मति से पेन्शन योजना का लाभ अनुमन्य किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया। इस बिन्दु पर चर्चा के समय प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे बैठक से अनुपस्थित रहे।

प्रस्ताव संख्या 16.05 – सहायक प्राध्यापक (रसायनशास्त्र) पद हेतु सम्पन्न साक्षात्कार के आधार पर चयन समिति की संस्तुतियों पर विचार एवं अनुमोदन।

विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक पदों पर चयन हेतु परिनियमावली में निहित व्यवस्था से सदस्य सचिव/कुलसचिव द्वारा सम्पूर्ण जानकारी देते हुए सहायक प्राध्यापक (रसायनशास्त्र) विषय में दिनांक 07 नवम्बर, 2015 को सम्पन्न हुए साक्षात्कार में चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति का सीलबन्द लिफाफा सदस्य सचिव द्वारा परिषद के समक्ष खोला गया। चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति का परिषद द्वारा अवलोकन किया गया। चयन समिति की संस्तुति के आलोक में श्रेष्ठताक्रम में चयनित निम्नांकित के चयन को अनुमोदित किया गया-

क्रम सं०	चयनित अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम
1-	डॉ० शालिनी सिंह	के०पी० सिंह

परिषद द्वारा किये गये चयन पर शीघ्र अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

प्रस्ताव संख्या 16.06- सहायक प्राध्यापक पदों हेतु सम्पन्न साक्षात्कार के आधार पर चयन समितियों की संस्तुतियों पर विचार एवं अनुमोदन।

विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापित कराये गये सहायक प्राध्यापक, मनोविज्ञान के 01 पद के लिए दिनांक 21 नवम्बर, 2016, सहायक प्राध्यापक, ज्योतिष एवं भूगोल के एक-एक पद के लिए दिनांक 22 नवम्बर, 2016 तथा सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र के एक पद के लिए दिनांक 23 नवम्बर, 2016 को सम्पन्न हुए साक्षात्कार में चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति का सीलबन्द लिफाफा सदस्य सचिव द्वारा परिषद के समक्ष खोला गया। उपर्युक्त विषयों में चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति का परिषद द्वारा अवलोकन किया गया। चयन समिति की संस्तुति के आलोक में श्रेष्ठताक्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित विषय में चयनित अभ्यर्थी के चयन पर परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया-

क्रम सं०	चयनित अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	विषय
1-	सुश्री सीता	श्री फकीर राम	मनोविज्ञान
2-	नन्दन कुमार तिवारी	श्री लक्ष्मण तिवारी	ज्योतिष
3-	मो० अकरम	श्री अशफाक अहमद	भूगोल
4-	शालिनी चौधरी	श्री यशपाल सिंह बालियान	अर्थशास्त्र

परिषद द्वारा किये गये चयन पर शीघ्र अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

प्रस्ताव संख्या - 16.07- डॉ० हेमन्त काण्डपाल, सहायक प्राध्यापक, आयुर्वेद के चिकित्सा अवकाश के संबंध में

उक्त प्रस्ताव पर सम्यक चर्चा की गयी तथा प्रकरण को लम्बित रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में एक विस्तृत प्रस्ताव बनाकर कार्यपरिषद की आगामी बैठक में परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

प्रस्ताव संख्या - 16.08- डॉ० हरीश जोशी, सहायक प्राध्यापक, वानिकी एवं डॉ० दिनेश कुमार, सहायक प्राध्यापक, शिक्षाशास्त्र के असाधारण अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

परिषद द्वारा डॉ0 हरीश जोशी को स्वीकृत अवैतनिक अवकाश के संबंध में यह निर्देश दिये कि प्रारम्भ में इन्हें एक वर्ष का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाय। यदि आगामी वर्ष के लिए इनके द्वारा आगे के अवकाश की प्रार्थना की जाती है तो उस पर कार्यपरिषद विचार करेगी।

डॉ0 दिनेश कुमार, सहायक प्राध्यापक का संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार में नियमित चयन हुआ है। इन्हें भी प्रारम्भ में एक वर्ष का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाय। यदि संस्कृत विश्वविद्यालय में इनका स्थायीकरण हो जाता है तो इन्हें त्याग पत्र देना होगा, अन्यथा की स्थिति में इनके आगे के अवकाश की प्रार्थना पर कार्यपरिषद विचार करेगी।

प्रस्ताव संख्या - 16.09- श्रीमती लीला रावत, सहायक कुलसचिव की प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने के फलस्वरूप कार्यमुक्त किये जाने के संबंध में।

उक्त जानकारी को परिषद ने संज्ञान में लिया।

प्रस्ताव संख्या 16.10- अकादमिक, प्रशासनिक तथा तकनीकी परामर्शदाताओं के नियोजन के संबंध में।

उक्त प्रस्ताव का परिषद द्वारा अवलोकन किया गया तथा चयनित कार्मिकों की संलग्न सूची के कुलपति द्वारा अनुमोदन पर कार्येत्तर स्वीकृति दी गई।

प्रस्ताव संख्या 16.11- प्रोफेसर जे0के0 जोशी, वरिष्ठ अकादमिक परामर्शदाता तथा डॉ० रम्भा जोशी, वरिष्ठ अकादमिक एसोसिएट को सेवा विस्तार प्रदान किये जाने के संबंध में।

उक्त प्रस्ताव पर परिषद द्वारा कुलपति के अनुमोदनोपरान्त कार्येत्तर स्वीकृति दी गयी।

प्रस्ताव संख्या 16.12- विश्वविद्यालय स्थापना के समय निश्चित मानदेय के आधार पर नियोजित लिपिक एवं वाहन चालकों के विनियमितीकरण प्रकरण पर गठित समिति द्वारा की गयी संस्तुति के संबंध में।

सदस्य सचिव/ कुलसचिव ने परिषद को शासन की अधिसूचना संख्या 1298/XXX(2)/2013-3(1)/2006, दिनांक 30 दिसम्बर, 2013 जिसके माध्यम से विनियमितीकरण नियमावली के प्राविधानों से अवगत कराया साथ ही विश्वविद्यालय स्थापना के समय नियोजित किये गये लिपिक एवं वाहन चालकों के संबंध में सम्पूर्ण स्थिति को स्पष्ट किया।

इस संबंध में शासन से किये गये सम्पूर्ण पत्राचार एवं विनियमितीकरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया को कार्यपरिषद के संज्ञान में लाया गया। इसके अतिरिक्त गठित की गयी विनियमितीकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव एवं समिति की संस्तुति से भी परिषद को अवगत कराया गया । परिषद द्वारा समस्त अभिलेखों का अवलोकन कर निम्नांकित कार्मिकों का विनियमितीकरण किये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया :

कनिष्ठ सहायक–

क्रम सं0	नाम	पिता/पति का नाम
1.	श्री बृजमोहन सिंह खाती	श्री बी0एस0 खाती
2.	श्री हेमचन्द्र	स्व० श्री नारायण दत्त छिमवाल
3.	श्री त्रिलोचन पाटनी	स्व0 श्री ईश्वरी दत्त पाटनी
4.	श्री महबूब आलम	श्री हसनैन अहमद
5.	श्री फिरोज खान	स्व0 श्री असलम खान
6.	श्री रविन्द्र कुमार कोहली	श्री जगदीश प्रसाद कोहली
7.	श्री भारत नैनवाल	श्री एन0डी0 नैनवाल
8.	श्री राहुल बिष्ट	श्री पी0एस0 बिष्ट

वाहन चालक–

क्रम सं0	नाम	पिता/पति का नाम
1-	श्री देवेन्द्र सिंह	श्री गोधन सिंह
2-	श्री शेखर चन्द्र	श्री परमानन्द
3-	श्री मोहन चन्द्र पाण्डे	स्व० श्री बी०डी० पाण्डे

परिषद द्वारा विनियमित किये गये कार्मिकों के संबंध में शीघ्र अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

प्रस्ताव संख्या 16.13- अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव –

प्रस्ताव संख्या 16.13(1)- सहायक क्षेत्रीय निदेशक के 08 सृजित पदों पर चयन प्रक्रिया के संबंध में –

सहायक क्षेत्रीय निदेशक पद पर चयन प्रक्रिया निर्धारण के संबंध में गठित समिति की कार्यवाही एवं अनुशंसा प्रस्तुत की गई। परिषद द्वारा सहायक क्षेत्रीय निदेशक के पद पर संस्तुत चयन प्रक्रिया का अवलोकन किया गया। प्रक्रिया के अनुसार 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। यह परीक्षा पॉच खण्डों क्रमश: 1- सामान्य अध्ययन 2- सामयिकी (Current affairs) 3- सामान्य बुद्धि परीक्षण 4- दूरस्थ शिक्षा से संबंधित ज्ञान 5- कम्प्यूटर से संबंधित सामान्य ज्ञान में विभक्त कर कराये जाने हेतु निर्देश प्रदान किया गया। अभ्यर्थियों की प्रवीणता सूची तैयार करने के उपरान्त प्रवीणता क्रम में 1 अनुपात 5 के आधार पर

अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर एवं आई0टी० दक्षता परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जायेगा। यह परीक्षा 10 अंकों की होगी। इसके पश्चात साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार 10 अंकों का होगा।

परिषद द्वारा उक्त चयन प्रक्रिया को अंगीकृत करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही का निर्देश दिया गया।

प्रस्ताव संख्या 16.13(2)- शासन द्वारा सृजित किये गये शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पदों के संबंध में -

विश्वविद्यालय के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पदों के संबंध में किये गये पत्राचारों को परिषद ने संज्ञान में लिया। परिषद ने इन पदों की अपरिहार्यता एवं आवश्यकता पर बल दिया साथ ही दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो के मानकों के अनुसार अतिरिक्त पद की मांग करने पर भी जोर दिया। परिषद ने शासनादेश संख्या 1201/XXIV(6)/2016-01(43)/2016, दिनांक 01 दिसम्बर, 2016 द्वारा सृजित सहायक प्राध्यापक के 12 पद एवं शासनादेश संख्या 1202/XXIV(6)/2016-01(43)/2016, दिनांक 01 दिसम्बर, 2016 के माध्यम से सृजित 17 पदों से संबंधित शासनादेश का अवलोकन करते हुए इन पदों पर शीघ्र अग्रेत्तर कार्यवाही आरम्भ किये जाने के निर्देश दिये गये।

प्रस्ताव संख्या 16.13(3) - प्रोफेसर गोविन्द सिंह, प्राध्यापक, पत्रकारिता एवं जनसंचार के असाधारण अवैतनिक अवकाश स्वीक्त किये जाने के संबंध में।

प्रोफेसर गोविन्द सिंह, प्राध्यापक, पत्रकारिता एवं जनसंचार को एक वर्ष का असाधारण अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किये जाने पर परिषद द्वारा सहमति प्रदान करते हुए यह भी निर्देशित किया गया कि प्रोफेसर सिंह के पास जिन विद्याशाखाओं के निदेशक का दायित्व है उन दायित्वों का निवर्हन प्रोफेसर एच०पी० शुक्ल के द्वारा किया जायेगा।

प्रस्ताव संख्या 16.13(4) – शासन के पत्रांक 840/XXIV(6)/2016-42(4)/12, दिनांक 01 दिसम्बर, 2016 पर विचार।

उक्त प्रस्ताव पर परिषद द्वारा अनुदान अवमुक्त किये जाने हेतु शासन को पत्र अविलम्ब प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये।

कार्यसूची में सूचीबद्ध सभी प्रस्तावों पर विचार विमर्श एवं निर्णयों के उपरांत कार्य परिषद के सदस्य सचिव प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र, कुलसचिव द्वारा सभी माननीय सदस्यों विशेषकर प्रोफेसर पठानिया के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए सभी सदस्यों का आभार व धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

अन्त में अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक सम्पन्न हुई।

(प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र)
कुलसचिव/सचिव कार्य परिषद
कुल सचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

Nageshwar Rao
28/12/16
प्रो० नागेश्वर राव
कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी, जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)